P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-6* September- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

पंचायतों में महिला राजनीति : बाधाएँ ओर चुनौतियॉ (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)

गीता तिवारी
शोध अध्येत्री,
राजनीति विज्ञान,
एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

रेखा मेहरा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान,
एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सक्रियता का अध्ययन किया गया हैं। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा हैं। क्योकि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बाधक इन तत्वों से न केवल उत्तराखण्ड की महिलाएं प्रभावित हुई हैं, वरन् सम्पूर्ण देश या ये कहें कि समस्त विश्व की महिलाएं प्रभावित हुई हैं। अतः उन कारणों को दृष्टिगत करके जो महिलाओं की पंचायतों में राजनीति को बाधित करती हैं, का उल्लेख व दूर करने हेतु सुझाव इस शोध पत्र के माध्यम से दिये गये हैं।

मुख्य शब्द :

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड भारत का सत्ताइसवां राज्य है, जो उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित करके 13जिलों के साथ 9 नवम्बर 2000 को गठित किया गया। ''2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 84,79,992 थी, जिसमें 43,16,401 पुरुष तथा 41,63,161 स्त्रियां थी। जो 2011 की जनगणना के अनुसार 100,86,292 हो गई हैं, जिसमें 51,37,773 पुरुष तथा 49,48,519 स्त्रियां हैं। राज्य की साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 87.40 प्रतिशत व स्त्रियों की साक्षरता दर 70.00 प्रतिशत है।''[1]

वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप में जब नौकरी के लिए पुरुष अपने घर से बाहर निकले, तो उनकी अनुपस्थिति में परिवार का खर्चा उठाने के लिए दायित्व महिलाओं के कंधों पर आना स्वाभाविक ही है। सुप्रसिद्ध लेखिका मृणाल पाण्डेय के अनुसार–''मैं बचपन से अनुभव करती आ रही हूं कि इन पहाड़ी महिलाओं में दिन भर कार्य करने की या कहिए अपने कार्यों में जुट रहने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है।''[2] साथ ही जल, जंगल, जमीन से राज्य की महिलाओं का यह जुड़ाव उनकी सक्रियता को प्रदर्शित करता हैं इस सम्बन्ध में प्रतिमा अस्थाना कहती है कि– नागरिकों की सक्रिय सहभागिता कुछ विशिष्ट लोगों के स्वार्थों को रोकने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए– उत्तराखण्ड में स्थानीय गॉव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन के जरिये राज्य के जंगलों की व्यापारिक शोषण से रक्षा की। महिलाओं ने वृक्षों के अवैध कटान पर नजर रखी तथा अपने ईधन, भोजन, चारे आदि के अधिकारों की मांग की। वन हमेशा से ही आदिवासी तथा निर्धन महिलाओं के लिये आजीविका का प्रमुख साधन रहें है।[3]

जहां तक पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की बात है, तो पहले तो यह जान लें कि ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाया गया है तथा इसमें महिलाओं को एक–तिहाई पद देकर उन्हें समानता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या पंचायतों में चुनकर आने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है? क्या वे पंचायती राज की प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं 73वें संविधान संशोधन को समझ रही हैं? इत्यादि बातों की जानकारी इस बात को प्रभावित भी करेगी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व कैसा है, कितना है, कितना सफल हुआ है और उससे गांव का विकास कितना आगे बढ़ा है, क्या परिवर्तन आया है और महिला प्रतिनिधियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितनी बाधाओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र की निम्नतर इकाई पंचायत है और स्थानीय स्वशासन में

इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए नई उपलब्धि नहीं है, अपितु प्राचीन काल से हमारे देश में इसकी सशक्त परम्परा रही है।

''महिला जिला परिषदों की भागीदारी से स्थानीय स्वशासन के अधिकार, समायोजन, एवं लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। निश्चित रूप से ये महिलाएं शिक्षित, संघर्षशील, प्रखर व्यक्तित्व वाली एवं जनोन्मुख होती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन हमारे समय की मशहूर लेखिका अरुन्धती राय का वक्तव्य है कि भारत की आत्मा गांवों में मरती है। बिहार सरीखे राज्य के ग्रामों में मरती हुई भारत की आत्मा को जीवित करने का काम महिलाएं और कमजोर तबके के लोग ही कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और जागरूकता से इस बात की उम्मीद मजबूत होती है।''[4]

आज देश में एक–तिहाई ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं आदि में शासन की बागडोर इन महिलाओं के हाथों में है। यह भूमिका उनके लिए नई नहीं है। लेकिन पंचायत व्यवस्था के दो दशक गुजर जाने के बाद भी इन महिला प्रतिनिधियों में राजनीतिक चेतना का प्रसार तो हुआ, परन्तु सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण महिलाएं महिला समस्या का अर्थ ही नहीं समझ पायी हैं। यदि उनकी समस्या के बारे में उनसे बातचीत की जाती है, तब उनका उत्तर सड़क, पानी, नाली, अस्पताल एवं मकान आदि होते हैं। वर्तमान स्थिति में यह देखा गया कि महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति अथवा कोई निकट संबन्धी बैठकों में बैठ जाते हैं। महिला प्रतिनिधियों के द्वारा मात्र अंगूठे से काम चलाया जाता है।

''निर्वाचित महिलाओं के निर्णयन को परिवार प्रमुख भी प्रभावित करते हैं। केवल 19 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जो अपने परिवार की प्रमुख होती हैं तथा शेष 44.66 प्रतिशत में पति, 17 प्रतिशत में ससुर, 5.33 प्रतिशत में देवर, 3.67 प्रतिशत में बेटा, 8 प्रतिशत में सास, 2.33 प्रतिशत में बहू परिवार प्रमुख हैं।''[5] ऐसी स्थिति में महिलाएं सही निर्णय नहीं ले पाती हैं। ''सम्पूर्ण भारतवर्ष में आठ राज्यों में एकस्तरीय व्यवस्था, 9 राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, 11 राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था तथा 1 राज्य पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है।'' यह एक क्रान्ति ही है कि दो दशक में आज लगभग तीनों स्तरों की पंचायत पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या 11 लाख है। ''एक तथ्य यह भी है कि भारत में नव निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों की यह संख्या विश्व में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी अधिक है।''[6]

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यू0एन0एफ0पी0ए0 ने भी अपनी वर्तमान रिपोर्ट में बताया है कि–

''भारत में पंचायती राज में महिला आरक्षण व्यवस्था के कारण महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इस कारण से महिलाओं में नई चेतना, नई सामर्थ्य व आशा की किरणों का संचार हुआ है। इसी कारण 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का सुअवसर मिला है। हर्ष का विषय यह है कि पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचों की संख्या लक्षित 33 प्रतिशत से अधिक करीब 40 प्रतिशत है।''[7]

हालांकि भारत में महिलाओं की पंचायत में सहभागिता राष्ट्रीय स्तर पर 33 प्रतिशत है, परन्तु बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, एवं उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिए यह आरक्षण 50 प्रतिशत है। देश में पंचायतों खासकर महिला प्रतिनिधियों की स्थिति के विषय में व्यापक जानकारी हासिल करने के लिए केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मार्केटिंग एजेंसी ए0सी0 नेलसन से एक सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण की ओर स्पष्ट संकेत करता है। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि '' मौजूदा महिला आरक्षण प्रणाली के तहत पहली बार चुनी गयी प्रतिनिधियों में से सिर्फ 14.3 ही दूसरी या तीसरी बार गैर आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनी जाती हैं, जबकि पुरुषों मे यह प्रतिशत 37 था।'[8]

सत्ता में भागीदारी होने से महिलाओं का न केवल आत्मिक मनोबल बढ़ा है, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी उनकी सक्रिय व प्रभावी भूमिका प्रशंसनीय है। इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यू0एन0एफ0पी0ए0 ने भी अपनी वर्तमान रिपोर्ट में बताया है कि– ''भारत में पंचायती राज में महिला आरक्षण व्यवस्था के कारण महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इस कारण से महिलाओं में नई चेतना, नई सामर्थ्य व आशा की किरणों का संचार हुआ है।'' पुरुषों की तुलना में महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि नहीं रखती हैं व उनकी सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः कम ही रहती है। इसी कारण महिलाओं के पक्ष में कानून, नीतियों एवं राजनीतिक प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में महिला नेतृत्व व प्रतिनिधित्व का प्रतिशत आज भी काफी कम है। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। विशेषतः सन् 1990 के दशक से इसको राजनीतिक प्रदर्शन, चुनावी रैलियों, धरना, बन्द आदि के संचालन में महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या व रुचि से प्रमाणित किया जा सकता है।[9]

उत्तराखण्ड की महिलाएं पुरुषों से अधिक परिश्रमी व हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ''जैसे महिलाओं के द्वारा श्रमदान के माध्यम से चौंदकोर, जिला पौढ़ी गढ़वाल में 31 मीटर लम्बे मोटर मार्ग का निर्माण बिना किसी सरकारी सहायता के भारी–भरकम चट्टानें तोड़कर किया गया। उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी द्वारा सन् 1984 में 'नशा नहीं, रोजगार दो' आन्दोलन चलाया गया, जिसमें महिलाओं की सक्रियता एवं सशक्त भागीदारी रही।''[10]

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तराखण्ड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता पर आधारित हैं। किसी भी समस्या का अध्ययन करने, सर्वेक्षण या शोध करने से पूर्व उस समस्या से सम्बधित साहित्य और विषय सामग्री का अध्ययन बहुत आवश्यक हैं। अतः शोधार्थी द्वारा विषयवस्तु की पृष्ठभूमि

को समझने के लिए पंचायती राज व्यवस्था एवं उसमें महिलाओं की भूमिका सम्बधित लेंखों, पुस्तकों, शोध ग्रन्थों एवं शोध पत्रों का अध्ययन किया गया हैं। जिसका विवेचन इस प्रकार हैं। अंजलि बहुगुणा, पूनम धस्माना ने अपने शोध में पाया कि ''पौड़ी क्षेत्र में ग्राम प्रधान महिलाएं लगभग 99.96 प्रतिशत कृषि से जुड़ी हुई हैं। उन्हें कृषि विकास एवं कृषि पर आधारित कार्यक्रमों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनाने में प्रयत्नरत होना चाहिए, ताकि महिलाओं का कल्याण तीव्र गति से हो सके तथा महिलाएं स्वावलम्बी बनें। ..... महिलाओं को राजनीति में अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए राजनीतिक दलों को भी अपना रचनात्मक सहयोग देना होगा, जिससे कि महिलाओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।''[11] प्रभात कुमार उप्रेती के अनुसार यदि हमें किसी क्षेत्र विशेष का शोध करना है, तो वहां के पुस्तकालयों और लेखों, अभिलेखों से ज्ञान प्राप्त करके ही पूरा किया जा सकता है। बलवंत राय मेहता के शब्दों में ''ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ बेशक है, किंतु वह एक महान पैतृक सम्पत्ति तथा एक महान संस्कृति की स्वामी है तथा समय आने पर वह अपने ग्रामीण जनों तथा उनके छिपे हुए गुणों का उपयोग करने की क्षमता में विश्वास है, तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। आज पंचायत राज में बहुत से दोष हो सकते हैं, परन्तु यह भविष्य की एक महत्वपूर्ण शक्ति है और इसीलिए समन्वित भाव से सभी को मिलकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।''[12] इन्द्रा अवस्थी (१९८२) ने अपने अध्ययन निष्कर्षों के आधार पर कहा है कि –''परिवार के सदस्यों के रोजगार व शिक्षा के सन्दर्भ में पति पत्नी प्रायः समान मत व अधिकार रखते है। परन्तु चुनाव में वोट देने के सन्दर्भ में प्रायः महिलाएं अपने पति के निर्देशों का पालन करती है।''[13]

''9 नवम्बर 2000 को नवगठित उत्तराखण्ड राज्य की 69 प्रतिशत जनसख्या गावों में निवास करती हैं। 13 जिलों में 15,501 राजस्व ग्राम एवं 244 वन ग्राम स्थापित हैं।''[14] ''गावों की सुरक्षा, समस्याओं के निराकरण करने एवं विकास कार्य करने के लिए उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 7,969 ग्राम पंचायतें, 95 विकासखण्ड एवं 13 जिला परिषदें गठित की गयी हैं।''[15] उत्तराखण्ड के पौडी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक 15 विकास खण्ड एवं 1,208 ग्राम पंचायतें हैं। तथा रूद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलें में 3–3 विकासखण्ड हैं। जो कि उत्तराखण्ड के सबसे कम विकासखण्ड वाले जिले हैं। तथा सबसे कम ग्राम पंचायतें 290 चम्पावत जिलें में हैं। उत्तराखण्ड में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं। ''उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2014 के पंचायत चुनावों में गढ़वाल मण्डल के 07 जनपदों से 35997 पंचायत प्रतिनिधि चुने गये हैं, जिनमें 06 महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, 131 महिला जिला पंचायत सदस्य, 32 महिला ब्लॉक प्रमुख, 926 महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 2287 महिला ग्राम प्रधान वर्तमान में चुनी गई हैं। तथा कुमाऊं मण्डल के 6 जनपदों में 28609 पंचायत प्रतिनिधि चुने गये हैं, जिनमें 02 महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, 99 महिला जिला पंचायत सदस्य, 21 महिला ब्लॉक प्रमुख, 778 महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 1837 महिला ग्राम प्रधान वर्तमान में चुनी गई हैं।''[16]

डॉ0 सुमनलता (2002) ने 'नैनीताल जिले की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अध्ययन' के आधार पर बताया कि ''पंचायतो का चुनाव लड़ने वाली अधिकांश महिलाएं विवाहित थी तथा सर्वाधिक नेतृत्व क्षमता युवा वर्ग की महिलाओं में देखी गई।''[17] डॉ0 रेखा बिष्ट (1998) ने 'कुमाऊँ में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन' में बताया कि ''शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हैं। उनकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उचित शैक्षिक प्रबन्ध, आर्थिक व सामाजिक विकास, राजनैतिक प्रतिनिधित्व व जागरूकता प्रदान करना आवश्यक हैं।''[18]

हेमन्त जोशी ने अपने शोध –'गढ़वाल में महिलाओं का राजनीतिक व्यवहार' में माना कि ''व्यक्ति का शासन प्रक्रिया से जुड़ना उसकी राजनीतिक सहभागिता का परिचायक होता है, और यह राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक जागरूकता से जुड़ी होती है।''[19] स्थानीय स्वशासन में महिला सहभागिता से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में बीना दास ने कहा है कि – भारत में शासन के तीन स्तर हैं– केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर के अंर्तगत ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतीराज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका व्यवस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान तथा व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्वशासन से स्वतन्त्रता का वातावरण बना रहता है तथा जनता को ऐसा विश्वास होता है कि उसे भी राजनीतिक व्यवस्था का अंग समझा जाता है।[20]

अध्ययन के उद्देश्य

1. पंचायतों में महिला राजनीति की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।
2. उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं की पंचायतों में राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों को दृष्टिगत करना एवं उन कारको के समाधान हेतु सुझाव देना।
3. महिला प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली के आधार पर पंचायतों में महिला राजनीति का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि

प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में लगभग ३२००० महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और शोध की गहनता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं कि शोध कार्य न्यादर्श पर आधारित है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार जनपदों के ४–४ विकासखण्डों को अध्ययन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में सर्वेक्षण हेतु चयनित किया गया। अतः अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्वति द्वारा ५०० महिला प्रतिनिधियों का चयन लाटरी विधि से किया गया। अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हैं तथा

आंकड़े एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्ययन, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया हैं। उर्पयुक्त प्रकिया के द्वारा शोध ऑकडों का एकत्रीकरण व विश्लेषण करके शोध निष्कर्ष निकाला गया हैं।

ऑकड़ो का विश्लेषण

व्यक्ति का शैक्षिक स्तर, उसकी सामाजिक स्थिति एवं परिपक्वता, उसकी आर्थिक स्थिति, लिंग भेद, व्यवसाय, जाति आदि ऐसे सामाजिक कारक हैं। जिनसे व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता घटती बढ़ती रहती है। पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता को प्रभावित करने वाले ऑकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित सारणियों के माध्यम से किया गया हैं–

सारणी सं0 – 01

चुनाव में खड़े होने पर महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

क्रम सं0		पुरुषों का विरोध	आर्थिक समस्या	समाज का विरोध	राजनेताओं का दबाव व अन्य हस्तक्षेप	अन्य कारण	योग
1	आवृत्ति	50	150	100	100	100	500
2	प्रतिशत	10	30	20	20	20	100

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में सफल हो पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजनीति (चुनाव) में एक प्रत्याशी के रुप में प्रतिभाग करना बहुत कठिन कार्य है, इसीलिए अधिकांश महिलाएं केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव में खड़ी होती हैं। जब उनसे वह कारण जानने की कोशिश की गई जो पंचायतों में महिलाओं की सक्रियता को प्रभावित कर रहे हैं। तो उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता हैं। जिसके आधार पर हम कह सकते है कि 30 फीसदी महिलाओं ने माना कि आर्थिक समस्या एक बड़ी चुनौती है, वर्तमान समय में यदि चुनाव के दौरान देखा जाए तो धन बल का बहुत अधिक प्रयोग मतदाताओं को प्रभावित करने में किया जाता है। चूकिं ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाएं आर्थिक रुप से पराश्रित होती हैं। तो उनके लिए ये सम्भव नहीं हैं।

20 प्रतिशत ने माना कि समाज में आज भी लोग महिला से ज्यादा पुरुषों के राजनीतिक कार्यों एवं भूमिका को महत्व देते है और महिलाओं को कमजोर समझते हुए उनके चुनाव जीतने का समर्थन नहीं करते हैं। आज पंचायत चुनावों में भी बड़े बड़े राजनेताओं का दखल बढ़ता जा रहा है ओर वह अपने प्रत्याशी को येन–केन प्रकारेण जिताने में जुट जाते है जिससे कई बार इन चुनावों का स्वरुप विकृत हो जाता है। शायद 20 प्रतिशत महिलाएं इसीलिए चुनावों में भागीदारी करने से कतराती हैं। क्योकि प्रभावशाली व शक्तिशाली पुरुष राजनेता अपने डंडों व अपने दबंगों के बल पर अपने परिवार की महिलाओं को आरक्षित सीट पर निर्वाचित करा लेते हैं और महिला केवल मुहरा बनकर रह जाती है। उन्हें घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहते देखा जाता है। साथ ही अन्य कई कारण जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां, घरेलू कार्यो की अधिकता, अशिक्षा, अज्ञानता, पति व पारिवारिक सदस्यों द्वारा अनुमति न देना आदि कई ऐसे कारण है जो महिलाओं को पंचायत चुनावों में खड़े होने में समस्या उत्पन्न करते हैं। चुनावों में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव से भी नारी की स्थिति राजनीति में निचले पायदान पर है, और कभी–कभी चरित्र–हनन का डर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उपरोक्त कारण महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित कर रहे हैं।

सारणी सं0 – 02

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की चुनाव प्रचार में भागीदारी को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से देखा जा सकता हैं –

क्रम संख्या		हॉ	नहीं	योग
1	आवृत्ति	270	230	500
2	प्रतिशत	54	46	100

उपरोक्त सारणी के अनुसार 73.20 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके क्षेत्र की महिलाएं चुनाव प्रचार कार्यो में भाग लेती हैं। 46 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि गांवों की महिलाओं के पास बहुत अधिक कार्य एवं घरेलू जिम्मेदारियां होने के कारण वह चुनाव प्रचार कार्यों में भाग नहीं लेती हैं। चुनाव प्रचार कार्य से भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ता हैं और यह व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता को भी प्रभावित करता हैं। प्रचार किसी विवादास्प्रद प्रश्न पर यह अधिसंख्यक व्यक्तियों के दृष्टिकोण प्राप्त करने की विधि को कहा जा सकता है। लासवैल के अनुसार प्रचार प्रदर्शन माध्यम की एक ऐसी पद्धति हैं, जिनसे मानवीय कार्यों को प्रभावित किया जायें।[21] लोकतंत्र के अस्तित्व को जीवित रखने में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। राजनीतिक दलों का सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से भी होता हैं। अतः व्यक्ति द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करना राजनीतिक सहभागिता ही एक किया हैं। किंतु जब हमने महिला पंचायत प्रतिनिधियों से जानना चाहा कि आप किसी राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्य हैं तो उनके जवाब को निम्न सारणी के माध्यम से देखा जा सकता हैं–

सारणी सं0 – 03

आप किसी राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्य हैं

क्रम संख्या		हॉ	नहीं	योग
1	आवृत्ति	134	366	500
2	प्रतिशत	26.80	73.20	100

उपरोक्त सारणी के अनुसार 73.20 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि वे किसी भी राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्य नहीं हैं। केवल 26.80

प्रतिशत महिला प्रतिनिधि ही किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं। चुनावों में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार या पार्टी विशेष को आर्थिक सहायता पहुॅचाना भी एक प्रकार की राजनीतिक सहभागिता हैं। पार्टी से जुड़े लोग उन्हे आर्थिक सहायता चन्दे के रुप में करते है। इस बारे में एक तथ्य यह भी है जैसा कि लक्ष्मी देवी ने लिखा है कि–पूर्व की अपेक्षा वर्तमान समय में महिलाएं राजनीति में व्यापक स्तर पर सहभागिता कर रही है, फिर भी यह पुरूषों की तुलना में अभी बहुत ही कम है, जिसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की संकीर्ण मानसिकता हैं।[22]

सारणी सं0 – 04

. क्या महिलाए केवल आरक्षित सीट से ही पंचायत प्रतिनिधि बन सकती हैं–

क्रम संख्या		हॉ	नहीं	योग
1	आवृत्ति	276	224	500
2	प्रतिशत	55.20	44.80	100

उपरोक्त सारणी के अनुसार 55.20 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि हॉ महिलाएं केवल आरक्षित सीट से ही प्रतिनिधि चुनी जा सकती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था होना बहुत आवश्यक हैं। उनके क्षेत्र की सामान्य सीटों से कुछ ही महिलाएं प्रत्याशी के रुप में भागीदारी करती हैं। परन्तु 44.80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसा नहीं हैं महिलाएं सामान्य सीट से भी प्रतिनिधि चुनी जा सकती हैं। आधार पर हम कह सकते है कि किसी भी स्तर के चुनाव में यदि व्यक्ति राजनीतिक उददे्श्य से चुनाव में खड़ा होता हैं, तो वह भी राजनीतिक सहभागिता है। क्योकि चुनाव लड़ना भी राजनीतिक सहभागिता का एक मुख्य अभिकरण हैं।''पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सीटें निश्चित हो गयी हैं, किंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष यह है कि महिलाएं अधिकांशतः आरक्षित स्थानों से ही चुनाव मैदान में पहुंची हैं, तथा सामान्य वर्ग की सीटों को स्वतः ही पुरुषों के लिए आरक्षित मान लिया है।''[23]

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी प्रवृतियों की जॉच मुख्यतः चुनावों में मतदाताओं व उम्मीदवारों के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के आधार पर की जाती हैं। महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर राजनीति में उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो एवं मतदान उनको राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

सारणी सं0 – 05

सभी महिलाएं मतदान करती हैं –

क्रम संख्या		हॉ	नहीं	योग
1	आवृत्ति	220	280	500
2	प्रतिशत	44	56	100

स्वतन्त्र भारत में संविधान द्वारा सभी नागरिकों को अनेकों अधिकार प्रदान किये गये है। इन्ही में से एक प्रमुख अधिकार है मतदान का अधिकार । परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की सभी महिलाएं अपने इस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करती है। 56 प्रतिशत महिला प्रत्याशियों का यहीं कहना हैं। जबकि 44 प्रतिशत ने कहा कि उनके क्षेत्र की सभी महिलाएं चुनावों में मतदान करती हैं। मतदान आन्तरिक प्रेरणा एवं स्वनिर्णय से नियत्रित होता है। परन्तु भारतीय महिलायें प्रायः मतदान के प्रति उदासीनता व्यक्त करती है। वे मतदान दिवस को एक उत्सव की तरह मानती है जो उन्हें कुछ घंटों के लिये उनके नीरस एवं उबाऊ दिनचर्या से फुर्सत के क्षण उपलब्ध कराता हैं।[24]

सारणी सं0 – 06

महिलाओं के मतदान नहीं करने के कारण –

क्रम संख्या		अज्ञानता	अशिक्षा	राजनीतिक भ्रष्टाचार	पारिवारिक दबाव	योग
1	आवृत्ति	242	186	46	26	500
2	प्रतिशत	48.40	37.20	9.20	5.20	100

उपरोक्त सारणी के विश्लेषणानुसार 48.40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना कि अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाओं के मतदान नहीं करने का। जबकि 37.20 प्रतिशत ने अशिक्षा और 9.20 प्रतिशत ने राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं 5.20 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक दबावों एवं कारणों से मतदान नहीं करती हैं। ''आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में मतदान का विशेष महत्व हैं। यह राजनीतिक सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। यह व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके कारण वह निर्माण प्रक्रिया का अंग बनता हैं।''[25] परन्तु राज्य की महिला मतदाताओं के मतदान ऑकडे उनकी मतदान के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं। महिलाएं चाहे किसी भी राज्य, जाति, वर्ग या धर्म की हो जब उनसे ये पूछा गया तो प्रायः एक ही उत्तर आया कि पंचायतों में कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसीलिए मेरे पति ने मुझे नामांकन पत्र भरवा दिया। इनमें से कुछ महिलाओं ने घर घर जाकर प्रचार भी किया किन्तु बहुत सी महिलाएं घर पर ही रही और उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य वोट मागने गए।[26] प्रायः यह माना जाता है कि संसद, प्रेस, संचार सुविधाएं, सरकार, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक दल राजनीतिक जागरूकता के निर्माण में सहायक होते हैं। राजनीतिक जागरूकता के निर्माण में सहभागिता का ज्ञान, देश के राजनीतिक तंत्र की कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक संस्थाओं तथा विश्व समुदाय से इसके सम्बन्धों का ज्ञान होता है। प्रायः महिलाए इनसे दूरी बनायी रहती हैं। जिससे समुचित जागरूकता का विकास उनमें नहीं हो पाता। इसीलिए अपने मत का महत्व नहीं समझ पाती हैं।

पंचायतों में महिला राजनीति के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं

महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने में कई कारक कांटों की तरह उनकी राह

को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित करते हैं, जैसे–

1. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव।
2. घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता।
3. पारिवारिक सहयोग का अभाव।
4. सामाजिक एवं राजनीतिक संरक्षण का अभाव।
5. प्रोत्साहन का अभाव।
6. निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव।
7. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना।
8. रीति–रिवाज एवं परम्पराएं।
9. अशिक्षा, रोजगार की कमी तथा असुरक्षा की भावना।

''उत्तराखण्ड नव सृजित पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां की समस्याएं, देश के अन्य राज्यों से कुछ भिन्न हैं। ये समस्याएं भी महिला नेतृत्व एवं राजनैतिक सक्रियता में बाधक हैं। उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार के अवसरों की न्यूनता, कृषि तथा कृषि से जुड़े उद्योगों का नितान्त अभाव होने के कारण यहां का युवा वर्ग मैदानी क्षेत्रों में पलायन करता रहा है, जिस कारण महिलाओं पर घरेलू कार्यों के साथ–साथ कृषि, पशुपालन तथा आर्थिकोपार्जन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है, जिन कारणों से यहां पर महिलाएं पंचायतों में सक्रिय नहीं देखी गयी हैं।''[27] इनके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों के परिवार में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वे काम करते–करते थक इतना जाती हैं कि कोई दूसरा काम सोच भी नहीं पातीं। साक्षरता का अभाव, परिवार की आर्थिक तंगी, क्षेत्रीय समस्याएं एवं दशाएं, चुनाव प्रचार की कार्य–विधि जैसे कारण महिलाओं के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कम शिक्षित हैं। प्राइमरी की शिक्षा के बाद वे घर का चूल्हा–चौका और घर के लिए पानी–लकड़ी के इंतजाम में ही पूरा दिन खेतों में ही गुजार देती हैं, क्योंकि वहां पुरुष तो आजीविका के लिए बाहर पलायन कर चुके होते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। सजग व आत्मचिन्तन के लिए प्रेरित करती है। परन्तु इसके अभाव में व्यक्तित्व पूर्ण विकसित नहीं होता। ''अतः व्यक्ति की शिक्षा जितनी अधिक व्यापक होगी, वह निर्माण प्रक्रिया में उतना ही सक्षम होगा। शिक्षा बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सामाजिक नियंत्रण व सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है।[28]

यह भी देखा जाता है कि पंचायतों की बैठकों में महिला प्रतिनिधि नदारद रहती हैं। उनके स्थान पर पति, देवर या ससुर बैठक को संबोधित करते हैं। यह स्थिति चौंकाने वाली तो है ही, बल्कि महिला जनप्रतिनिधि पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है। आखिर क्योंकि वे अपने अधिकार एवं कर्तव्य अपने परिजनों को सौंपकर सभी नियमों की अवहेलना करती हैं। ''यही कारण है कि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अनेक पतियों की उपस्थिति के चलते अब ऐसे पतियों को सदन से बाहर निकाला जाने लगा है। क्षेत्र पंचायत सदन सदन की बैठकों में पिछली बैठक की पुष्टि के लिए वाचन से पहले ऐसे पतियों (प्रधानपति व क्षेत्र पंचायत सदस्य पति) को सदन से बाहर निकालने के हुक्म जारी किये जाते हैं अर्थात् इन सदनों में एक अलग तरह की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो गयी है, जो कि सुखद संकेत है।''[29] साथ ही गांव में उनके लिए कुछ मुख्य चुनौती इस प्रकार है–

1. गांव की सफाई रखनी होगी।
2. गन्दगी या कूड़ा–करकट इकट्ठा न हो, पीने का पानी साफ हो, और पानी का निकास ठीक हो।
3. बच्चों, आदमी और औरतों को स्वस्थ रखना होगा (इसके लिए अस्पताल व दवा की जरूरत होगी और बच्चों को टीके लगने चाहिए)।
4. गांव के हर व्यक्ति को पढ़ा–लिखा बनाना होगा। यह ध्यान देना होगा कि सभी बच्चे खासतौर पर लड़कियां स्कूल जाएं, अपनी पढ़ाई बीच में ही न छोड़ दें।''[30]

महिला प्रतिनिधियों के पास आर्थिक तंगी की समस्या पहाड़ की भांति ही उनके सम्मुख खड़ी रहती है, जिससे उनका अधिक समय तो सरकार सहायता प्राप्त करने में, तो कभी जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार न करने के लिए सुझाव देना आदि में व्यय होता है। और यदि उन्हें सरकारी पैसा मिल भी जाता है तो वे समस्त कागजातों, फाइलों का निरीक्षण नहीं करती या प्रतिलिपि भी अपने पास नहीं रखतीं, जिससे पारदर्शिता नहीं रहती। ''यदि उन्हें नौकरशाहों से पर्याप्त सहायता या समुचित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वे न केवल कुंठित एवं हतोत्साहित होती हैं, बल्कि पंचायत राज संस्थाओं के प्रति अपनी विरक्ति बढ़ जाती है। अतः सरकारी तंत्र को भी निष्पक्षता, कर्मठता, ईमानदारी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ पंचायती राज संस्थाओं को समुन्नत करने में सहायता करनी चाहिए, ताकि ग्राम स्वराज का सपना यथार्थ में परिवर्तित हो सके।''[31]

समाधान हेतु सुझाव

महिलाओं में नेतृत्व का गुण पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। जरूरत इस बात की है कि वे निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग सही समय और सही ढंग से करें। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी के अर्थ की समझ होनी आवश्यक है। भागीदारी का अर्थ होगा–

1. प्रत्येक बैठक में भाग लें।
2. बैठकों में अपने विचार प्रकट करें।
3. निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें।
4. जहां जरूरत हो, निर्णय के बारे में विरोध भी प्रकट करें।
5. अपनी जिम्मेदारी को स्वयं निभाएं।
6. किसी और के कहे के अनुसार नहीं, बल्कि खुद उचित निर्णय लें।
7. पंचायत के सभी कार्यों में स्वयं हिस्सा लें।
8. सरकारी कायदे कानून व नियमों की जानकारी रखें।
9. परिवार व पंचायत की जिम्मेदारियों में तालमेल बैठाना।
10. पंचायत प्रतिनिधि संचार के महत्व को समझें।
11. बोझिलता व उबाउपन न आने दें।

जो महिलाएं स्वयं किसी कुरीति को अपनाती हो या समर्थन करती हो जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, आदि को अपनाती हो उन्हे चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तथा राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली होना चाहिए। महिलाएं खेत–खलिहान, परिवार, सब में

कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वे सुबह उठकर चक्की चलाती हैं, मवेशियों का दूध निकालती हैं, गोबर उठाकर साफ–सफाई करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, खेतों में खाना पहुंचाती हैं, तथा पशुओं के लिए चारा लाती हैं। इतना सब–कुछ होने के बावजूद वे हमेशा मुस्कुराती रहती हैं।

इस बारे में डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि ''भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किंतु आंसुओं की चिन्ता करते हुए वह असमान व्यवहार, अपमान, शोषण से अवश्य डरती है।''[32]

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिला मैदानी क्षेत्रों में हो या पर्वतीय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण या राजनीति में उनकी भागीदारी का मुख्य विषय जो वर्तमान में उभर कर आया है, उसके लिए इन सारी सामाजिक समस्याओं एवं जनांकिकी तथ्यों को देखा जाए तथा इन पर अमल किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को ठोस रूप दिया जाए एवं उनकी राजनीतिक भूमिका को भी समाज द्वारा स्वीकार किया जा सकें।

सन्दर्भ गंन्थ सूची

1. *कुमार आलोक एवं त्रिपाठी, केसरीनदंन : उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन : नागरी प्रेस, इलाहाबाद 2015 पृ. 246 व 33.*
2. *आर्य, अलका, अमर उजाला, 31 जून, 2008*
3. *अस्थाना,प्रतिमा 'भारत में महिला आंदोलन', विकास पब्लिकेशन,नई दिल्ली,1974 पृ0 12.*
4. *'कुरुक्षेत्र', दिसम्बर 2002, बिहार में पंचायती राज ओर महिला भागीदारी, लेखक– रामाज्ञा राय शशिधर, पृ0–27.*
5. *डॉ0 रामसकल सिंह : पंचायती राज व्यवस्था, अर्पण पब्लिकेशन्स, 2018, पृ0–142.*
6. *एम0एम0 सेमवाल एवं राखी पंचौला, पर्वतीय महिलाएं एवं पंचायती राज, रिसर्च इंडिया प्रेस, न्यू देहली, पृ0–203.*
7. *अनिता मोदी : पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक एन्क्लेव, जयपुर, भारत, 2009, पृ0–2029.*
8. *एम0एम0 सेमवाल एवं राखी पंचौला, पर्वतीय महिलाएं एवं पंचायती राज, रिसर्च इंडिया प्रेस, न्यू देहली, पृ0–204.*
9. *वसु अमृता, वीमेन्स एक्टीज्म एण्ड द वीसीट्यूडस ऑफ हिन्दू नेशनलिज्म जर्नल ऑफ वीमेन्स हिस्ट्री वाल्टीमोर, 1999, वाल्यूम–10, इश्यूज–4, पृ0–11.*
10. *जोशी वीणापाणी : 'उत्तराखण्ड की सामाजिक हलचलों में महिलाओं की भूमिका', सम्पादक– सुरेश नौटियाल, 'धाद ग्रन्थ' अभिकथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994, पृ0–293.*
11. *बहुगुणा अंजलि, पूनम धस्माना, उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायतें एवं महिलाएं, पंचायत राज और रूरल डवलेपमेंट से उद्धृत, 2011, 198.*
12. *बलवन्त राय मेहता : रिसर्च इण्डिया, प्रेस न्यू देहली, 2011, पृ0–298.*
13. *अवस्थी, इन्द्रा ; रूलर ऑफ वूमन ऑफ इण्डिया : चुंग पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1983.*
14. *कुमार आलोक एवं त्रिपाठी, केसरीनदंन : उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन : नागरी प्रेस, इलाहाबाद 2015 पृ0 6 व 7.*
15. *निदेशालय पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड*
16. *निदेशालय पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।*
17. *सुमनलता–2002, पंचायती राज में महिला नेतृत्व (नैनीताल जनपद में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)*
18. *रेखा बिष्ट (1998) : कुमाऊँ में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन, (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)*
19. *जोशी,हेमन्त, 'गढ़वाल में महिलाओं का राजनीतिक व्यवहार', अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, हे0न0ब0गढ़वाल वि0वि0 श्रीनगर, 1989 पृ0–63.*
20. *बीना दासः''वीमेन एण्ड पंचायती राज''(अनपब्लिशड रिपोर्ट), दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1999,पृ0 66.*
21. *लासवैल एस0डी0,'प्रोपेगण्डा एनसाइक्लोपीड़िया ऑफ सोशल साइन्सेज',वाल्यूम, पृ0 52.*
22. *देवी,लक्ष्मी :'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वुमन डेवलेपमेन्ट एण्ड फैमिली वेलफेयर' वाल्यूम 5 अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ0 37व 38.*
23. *देवी,लक्ष्मी :'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वुमन डेवलेपमेन्ट एण्ड फैमिली वेलफेयर' वाल्यूम 5, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ0 34.*
24. *जैन ,आर.बी.एस., ''तुलनात्मक राजनीति'' 1990 पृ0 404.*
25. *त्रिपाठी, राजमणि, 'पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण', कुरूक्षेत्र पत्रिका, २००१ ,पृ0सं0 १३.*
26. *सरिता चौहान : पंचायतों में महिला नेतृत्व और लैंगिक असमानता, रिसर्च इंडिया प्रेस, पृ0–248*
27. *वही, पृ0–249*
28. *रैडफिल्ड राबर्ट : लघु समुदाय, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर– 1973, पृ0–76*
29. *गणेश खुगशाल 'गणी' पंचायत व्यवस्था में सुधार, आवश्यकताएं एवं संभावनाएं, पृ0–282*
30. *डॉ0 अनीता : पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं की सहभागिता, आशा प्रकाशन, कानपुर, 2014, पृ0–152*
31. *डॉ0 धनसिंह रावत : नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन, अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी, 2006, पृ0–135*
32. *डॉ0 अनीता : पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं की सहभागिता, आशा प्रकाशन, कानपुर, 2014, पृ–189*